

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1513 19।

आवेदन सं० 19

यदि श्री 11 मे 2 प्रपत्र का नंबर 19 के पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निर्दिष्ट संप्रदायकारी और अबभार का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संप्रदायकारी और अबभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणियों से ता० 31-01-19 से ता० 19-01-19 तक update की गई और ऐसी तालाशी के बाद निम्न संप्रदायकारी और अबभारों का पता चला है :-

मामा 3 वृत्त

क्र. संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	प्लॉट के नाम		दस्तावेज की प्र. सं. के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा	बेकर	वर्षिक	10/1	10/1	10/1			
भागा	बेकर	07	5070	49	647			
भागा 10	33	New		59	651			
जिला	पटना	11			1298			

2 कवा

13283 सहा.

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 संप्रदायकारी की दशा में प्लॉट की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बताने कि इनके बारे में

2 नदरों की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सच्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सच्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलारी की और प्रमाण-पत्र तयार किया

(हस्ताक्षर)

मो. प्रमाण-पत्र

(पदनाम)

28/6/19

तलारी का सच्यवहार और प्रमाण-पत्र की जीव निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)

28/6

(पदनाम)

अवधार

अवर निबंधक, पुणे तलारी कार्यालय, परतक

महाराष्ट्र

पुणे



अवर निबंधक
पुणे तलारी कार्यालय
28/6/19

- दिनांक - इस प्रमाण-पत्र में जो सच्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों की निश्चित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों में प्रमाणित सच्यवहार (दस्तावेज) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा 17 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुसूचियों (इन्डेन्स) की प्रमाणित देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिनिधि लेना चाहते हैं अथवा किन्हीं निश्चित सम्पत्तियों को अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। निश्चित रूप से का मुगलान करने पर बहियों और अनुसूचियों उनसे सामने रख दी जायगी।
- किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने तलारी अपने भरोसे मान्यता से की है। फिर भी, दिनांक प्रमाण-पत्र में दिये गये तलारी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
- और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अप्रमाणित तलारी स्वयं की है और यदि उसके द्वारा सच्यवहार और अवधारों को सच्यवहार के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न दिये गये ऐसे सच्यवहार और अवधारों को धृ के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आपंक 1513 दिनांक 28/6/19

प्रतिलिपि :- श्री. प्रमाण-पत्र LIC Housing Finance Ltd. Jeevam Prakash Fraser Road Patana को प्रेषित :-

अवर निबंधक
पुणे तलारी कार्यालय
28/6/19

SHUBHAM RAJ CONSTRUCTION PVT. LTD.

Sunita Kauri
Managing Director